

1076

#1355

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - तुर्किया खुर्द

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 92

दायर दिनांक 10/10/2025 निर्णय दिनांक



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश				
1	तुर्किया खुर्द	71	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गारंटेड नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <table border="1"> <tr> <td>वर्तमान प्रविष्टी</td> <td>शुद्ध प्रविष्टी</td> </tr> <tr> <td>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा</td> <td>राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा</td> </tr> </table>	वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा	राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम तुर्किया खुर्द प.ह. तुर्किया खुर्द खातासं 71 में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी							
बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा	राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धरमाजा							
			<p>हस्ताक्षर पटवारी 10/10/2025 तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़</p>	<p>हस्ताक्षर गिरदावर</p>	<p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>		

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन